



## उद्घरण खतीनी



उद्घरण क्रमांक : 130427202510326

ग्राम क्रमांक : 130427 ग्राम का नाम (परगना) : तहसील : बरेली जनपद : बरेली फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खाला संख्या : 00161

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

### खातेदार का विवरण

### खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण

### भूमि का विवरण

### खातेदार का अंश

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनिक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में हि.	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व
89-	1) काम्पीटेन्ट स्टार क0प्रा0लि0 डा0राजकुमार खण्डेलवाल / जगदीश सरन खण्डेलवाल / नि. 116 सिविल लाइन्स बरेली 2) डा0 विपिन कुमार / गोपाल / नि. सिविल लाइन्स बरेली 3) काम्पीटेन्ट बिस्स ए0डेवलपर्स डा0 विपिन कुमार / गोपाल / नि. 14 सिविल लाइन्स बरेली 4) काम्पीटेन्ट इ0 प्रा0लि0 डा0 राजकुमार खण्डेलवाल / जगदीश सरन खण्डेलवाल / नि. 116 सिविल लाइन्स बरेली 5) काम्पीटेन्ट साई इ0प्रा0लि0 आफिस द्वारा मनमोहन गोटे / बाले रूम नं. 207-42 दितीय तल म.न.4132 नया बाजार / दिल्ली कारपोरेट आफिस पी 6/14 जी.डी.डी. पुरम बरेली 6) द्वारा डा0 विपिन कुमार / गोपाल / नि. 14 सिविल लाइन्स बरेली 7) काम्पीटेन्ट इ0प्रा0लि0 डा0 विपिन कुमार / गोपाल /			89(1304270089000012)	0.1580			

	नि. 14 सिविल लाइन्स बरेली 8) डायरेक्टर राजकुमार खण्डेलवाल / जगदीश सरन खण्डेलवाल / नि. 116 सिविल लाइन्स बरेली 9) विपिन कुमार / गोपाल / नि. 14 सिविल लाइन्स बरेली								
कुल गाटे- 1	कुल क्षेत्रफल- 0.1580 (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व - रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 0.0000)(हेक्टेयर)						
<b>नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण</b>		<b>खारिज किया गया</b>			<b>दर्ज किया गया</b>				
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)	नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)			
<b>(117) भूमि के सखन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :</b>									
<b>(118) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति</b>									
<b>(118.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :</b>									
<b>(118.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :</b>									
<b>(119) अभ्युक्ति :</b>									
<b>पूर्व आदेशों का विवरण</b>									
1) 1429फं न्यायालय उपजिलाधिकारी मण्डल लखनऊ जनपद लखनऊ तहसील लखनऊ वाद सं० 81/2016 व कम्प्यूटरीकृत वाद सं० 12021110460204032 काम्पीटेंट स्टाफ कन्स्ट्रक्शन प्रांति बनाम उ०प्र०सरकार अंतर्गत धारा - 144 अधिनियम - उ०प्र०ज०वि०भू०व्य०अधिनियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 विधिक एवं न्यायसंगत होने के कारण बहाल किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। ह०र०क० 15.1.22/15.1.22									
2) 1429फं न्यायालय उपजिलाधिकारी मण्डल लखनऊ जनपद लखनऊ तहसील लखनऊ वाद सं० 82/2016 व कम्प्यूटरीकृत वाद सं० 12021110460204034 काम्पीटेंट साई इन्फ्रावेन्चर प्रांति बनाम उ०प्र०सरकार अंतर्गत धारा - 144 अधिनियम - उ०प्र०ज०वि०भू०व्य०अधिनियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 विधिक एवं न्यायसंगत होने के कारण बहाल किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। ह०र०क० 15.1.22/15.1.22									
3) 1429फं न्यायालय उपजिलाधिकारी मण्डल लखनऊ जनपद लखनऊ तहसील लखनऊ वाद सं० 84/2016 व कम्प्यूटरीकृत वाद सं० 12021110460204036 काम्पीटेंट इन्फ्रासिटी प्रांति बनाम उ०प्र०सरकार अंतर्गत धारा - 144 अधिनियम - उ०प्र०ज०वि०भू०व्य०अधिनियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। ह०र०क० 15.1.22/15.1.22									
4) 1429फं न्यायालय उपजिलाधिकारी मण्डल लखनऊ जनपद लखनऊ तहसील लखनऊ वाद सं० 83/2016 व कम्प्यूटरीकृत वाद सं० 12021110460204035 काम्पीटेंट इन्फ्रावेन्चर प्रांति बनाम उ०प्र०सरकार अंतर्गत धारा - 144 अधिनियम - उ०प्र०ज०वि०भू०व्य०अधिनियम 1950 दिनांक 23.12.21 को आदेश हुआ कि न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 विधिक एवं न्यायसंगत होने के कारण बहाल किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2014 इस आदेश का अंग रहेगा। ह०र०क० 14.1.22/14.1.22									
5) 1431फं न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बरेली। पत्रांक - 106/रा०अह० - 2023 दिनांक - 17.11.2023 वाद सं० - 12022121311014919 धारा - 80 उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 ग्राम - नरियावल पर०तह० व जिला बरेली।									

कम्प्यूटर्डेड बिलिंग बनाम उग्रप्रसरकर । तहसीलदार सदर बरेली । ग्राम नरियावल परगना व तहसील व जिला बरेली स्थित वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या 37/0.3030हे0 में से 0.0170हे0 व 83/0.0630हे0 में से 0.0030हे0 व 85/0.0500हे0 में से 0.0030हे0 व 89/0.1580हे0 में से 0.0100हे0 व 92/0.0630हे0 में से 0.0030हे0 व 93/0.0880हे0 में से 0.0050हे0 व 179/0.1010हे0 में से 0.0060हे0 व 38/0.1260हे0 में से 0.0280हे0 व 51/1.8710हे0 में से 0.1780हे0 व 62/0.2180हे0 में से 0.0727हे0 व 70/0.1510हे0 में से 0.0330हे0 व 71/0.0250हे0 में से 0.0060हे0 व 72/0.0630हे0 में से 0.0140हे0 व 73/0.0880हे0 में से 0.0180हे0 व 97/0.0760हे0 में से 0.0250हे0 व 107/0.1140हे0 में से 0.0380हे0 व 169/0.7080हे0 में से 0.3750हे0 व 170ख/0.1140हे0 में से 0.0380हे0 व 172/0.0760हे0 में से 0.0250हे0 व 174/0.1140हे0 में से 0.0380हे0 व 180/0.1010हे0 में से 0.0340हे0 व 182/0.1130हे0 में से 0.0380हे0 व 181/0.1520 में से 0.0760हे0 व 230/0.2150हे0 में से 0.1080हे0 व 256/0.1650हे0 में से 0.0830हे0 व 284/0.2020हे0 में से 0.0450हे0 व 284/0.0760हे0 में से 0.0450हे0 व 284/0.2020हे0 में से 0.1180हे0 व 287/0.0380हे0 में से 0.0220हे0 व 297/0.170हे0 में से 0.1030हे0 व 298/0.1520 में से 0.0880हे0 व 299/0.1260हे0 में से 0.0740हे0 व 300/0.1260हे0 में से 0.0740हे0 व 304/0.0500हे0 में से 0.0250हे0 कुल 38 किता कुल रकवा 2.1887 हे0 सम्बन्धी उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दिनांक - 9.11.2023 अनुसार निम्न आदेश पारित किया गया है - तहसीलदार सदर, बरेली की आख्या दिनांक 10.08.2023 से सहमत होते हुये ग्राम नरियावल परगना व तहसील व जिला बरेली स्थित वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या 37/0.3030हे0 में से 0.0170हे0 व 83/0.0630हे0 में से 0.0030हे0 व 85/0.0500हे0 में से 0.0030हे0 व 89/0.1580हे0 में से 0.0100हे0 व 92/0.0630हे0 में से 0.0030हे0 व 93/0.0880हे0 में से 0.0050हे0 व 179/0.1010हे0 में से 0.0060हे0 व 38/0.1260हे0 में से 0.0280हे0 व 51/1.8710हे0 में से 0.1780हे0 व 62/0.2180हे0 में से 0.0727हे0 व 70/0.1510हे0 में से 0.0330हे0 व 71/0.0250हे0 में से 0.0060हे0 व 72/0.0630हे0 में से 0.0140हे0 व 73/0.0880हे0 में से 0.0180हे0 व 97/0.0760हे0 में से 0.0250हे0 व 107/0.1140हे0 में से 0.0380हे0 व 169/0.7080हे0 में से 0.3750हे0 व 170ख/0.1140हे0 में से 0.0380हे0 व 172/0.0760हे0 में से 0.0250हे0 व 174/0.1140हे0 में से 0.0380हे0 व 180/0.1010हे0 में से 0.0340हे0 व 182/0.1130हे0 में से 0.0380हे0 व 181/0.1520 में से 0.0760हे0 व 230/0.2150हे0 में से 0.1080हे0 व 256/0.1650हे0 में से 0.0830हे0 व 284/0.2020हे0 में से 0.0450हे0 व 284/0.0760हे0 में से 0.0450हे0 व 284/0.2020हे0 में से 0.1180हे0 व 287/0.0380हे0 में से 0.0220हे0 व 297/0.170हे0 में से 0.1030हे0 व 298/0.1520 में से 0.0880हे0 व 299/0.1260हे0 में से 0.0740हे0 व 300/0.1260हे0 में से 0.0740हे0 व 304/0.0500हे0 में से 0.0250हे0 कुल 38 किता कुल रकवा 2.1887 हे0 भूमि के संक्रमणीय सहभूमिधर कम्प्यूटर्डेड बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स द्वारा जा0 विपिन कुमार पुत्र गोपाल निवासी 14 सिविल लाइन्स बरेली की उपरोक्त वादीय भूमि, जिस पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नात भूमि के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल निर्मित है, को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-80(12) के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में दिये गये प्रयोजनों से इतर भूमि का उपयोग होता है या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-80(17) में उल्लिखित प्राविधानों- इस धारा के अधीन उप जिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा नहीं की जा सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग, ऐसे प्रयोजन के लिये किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण लोक उपलाप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या जो महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो, एवं भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर या सहखातेदारों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जाती है, का उल्लंघन होता है या अभिलेख असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः समाप्त होगा। वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्राधान्य पत्र दिनांक 25.10.2023 एवं तहसीलदार सदर, बरेली की आख्या दिनांक 10.08.2023 मध्य नज़री आख्या इस आदेश का अंग रहेगी। हं०र०क० 21.11.23/22.11.23

Data Digitally Signed by: BRAHAMANAND SHARMA/REVENUE INSPECTOR  
दिनांक/समय/स्थान: 08-10-2025 04:40:02 तहसील : बरेली  
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा ज़ादा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।



मुद्रित कर्ता : SUBHASH CHANDRA तहसील : बरेली  
मुद्रित दिनांक एवं समय: 08-10-2025 04:40:02  
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेशीकेशन <https://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

